International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 03, July - September, 2019, pp.181-184

efgyk l'kfDrdj.k ,oa iapk;rh jkt% ,d fo'ys"k.kkRed v/;;u

चैनाराम 'मुंदलिया'*
डॉ. ओमप्रकाश शर्मा**

सार

भारत ही नही अपितु सम्पूर्ण विश्व में पिछले कुछ वर्षो से महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का प्रयोग हो रहा है। महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की न केवल समझ दे अपितु साथ ही साथ सत्ता के स्रोतों पर नियंत्रण कर सकने की क्षमता भी प्रदान करे। स्वतंत्र भारत में महिलाओं को शैक्षिक अवसर, संपत्ति और विरासत में बराबर का हक मिला, जिससे सामाजिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में लम्बे समय से पुरुषों के वर्चस्व के कारण महिलाओं का असर नाममात्र का रहा। 73वें एवं 74 वें संविधान संशोधन (1992) के द्वारा महिलाओं के लिए स्थानीय संस्थाओ में एक तिहाई स्थान आरक्षित करके महिला सशक्तिकरण तथा निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता में वृद्धि की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। पंचायतीराज संस्थाएं, जो कि जमीनी लोकतांत्रिक ढांचे को निर्मित करती है, में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण संरचना को सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में बढ़ाया है। महिलाओं को पंचायतों के माध्यम से विकास प्रक्रियाओं एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागिता एक ओर लोकतांत्रिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय तथा समानता के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करती है वही दूसरी ओर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। यह सर्वविदित सत्य है कि महिलाएं वित्तीय संसाधनों का उचित प्रयोग करना भलीभंति जानती हैं और अपनी इस क्षमता का उपयोग उन्होंने गांव के वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित व नियमित करने में किया है। निसन्देहः महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भगीदारी से उनमें आत्मनिर्भरता, जागरूकता का स्तर बढ़ा है वही वे छोटे - छोटे स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार अपना रही है और विकास में अपना सहयोग दे रही है। इस तरह कहना गलत नही होगा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी से उनके राजनीतिक एवं सशक्तिकरण अभियान को गति मिली है।

कुन्जी शब्दः— महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, 73 वां सविधान संशोधन, महिला आरक्षण, ग्रामसभा, स्वयंसहायता समूह।

प्रस्तावना

अध्ययन के उद्देश्य

- भारत में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
- भारतीय समाजिक ढांचे में महिलाओं की कमजोर स्थिति के कारणों का पता लगाना।
- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी की जांच करना।
- पंचायती राज ने महिलाओं का सशक्तिकरण व सामाजिक गतिशीलता के विस्तार की सीमा का पता लगाना।
- पंचायती राज में महिलाओं की प्रस्थिति में संरचनात्मक परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करना।

भारत को स्वतंत्र हुए सात दशक बीत चुके हैं और बीतें दशक अपने गति को कायम रखते हुए परिवर्तन के नवीन आयामों को लाते रहे हैं। इस अवधि में समाज में बहुत कुछ बदला। स्वतंत्रता के बाद वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें सभी नागरिको को समान राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार दिए गए। भारतीय जन को मिले समान अधिकारों के साथ महिला शक्ति को भी समान शैक्षिक, सपंत्ति एवं विरासत में बराबर के अधिकार प्राप्त हुए, जिससे उनके सामाजिक स्तर में बदलाव आया परन्तु राजनीतिक मानचित्र फिर भी नही बदला। महिला सशक्तिकरण के संबंध में **ऑफिस ऑफ**

---

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना, राजस्थान।
** सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सांभरलेक, जयपुर, राजस्थान।

द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने लिखा है कि ''यह औरतों को शक्ति, क्षमता तथा काबलियत देता है ताकि वह अपने जीवन स्तर को सुधार कर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकें।" महिला सशक्तिकरण की अवधारणा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसम्पन्न एवं विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वार खुले हो, नए विकल्प तैयार हो, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों के साथ कानूनी हक और प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हो। महिला सशक्तिकरण में निम्नांकित तत्वों को सम्मिलित किया जा सकता है -

- राष्ट्र की विधायका में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत।
- देश के प्रशासन एवं प्रबंध में उनकी भागीदारी का प्रतिशत।
- व्यावसायिक एवं तकनीकी सेवाओं में उनका अनुपात।
- महिलाओं की प्रति व्यक्ति आमदनी एव उनकी तुलनात्मक आर्थिक स्थिति।

वैश्विक स्तर पर प्राय सभी समाजों में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान नही है। भारतीय सामाजिक ढांचें को देखा जाएं तो पुरुष एवं महिलाओं की भूमिका को अलग- अलग निर्धारित किया गया है जहाँ पुरुषों को अधिक अधिकार, संसाधन औंर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है वही महिलाओं को माता, पत्नी बनाम गृहिणी, रसोईयां और बच्चों की देखभाल इत्यादि परम्परागत भूमिका सौंपी गई है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है क्योंकि देश की लगभग अड़सठ प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में रहती है। ग्रामीण भारत में बसने वाली अधिकांश महिलाओं की स्थिति दयनीय है। अतः सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण प्रदान किया जाएं। महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।

यधपि इस दिशा में शुरूआत, वर्षो पहले हो गई थी। 1930 के दशक के प्रारम्भ में गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की वकालत की तो यह अनायास ही नही थी। गांधीजी जानते थे कि जब तक महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा नही मिलेगा तब तक उन्हें मौलिक अधिकार नही मिल सकते है। उन्होंने ग्राम स्वराज की अवधारणा में विकास के पहले पायदान यानि पंचायतों में महिला भागीदारी पर बल दिया। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की स्थापना के बाद भी लम्बे समय तक इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम रही। इतिहास पर नजर डाले तो भारत में छठीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिला विकास पर अलग से सोचा गया। तत्पश्चात 73 वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित करने का प्रावधान कर निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन एक क्रांतिकारी कदम रहे। इस कदम से गांधीजी के ग्राम स्वराज की अवधारणा हकीकत में बदलती नजर आई। पहली बार पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी करीब 10 लाख से अधिक हुई।

73 वें संविधान संशोधन के द्वारा समाज के हर तबके को पंचायती राज में प्रतिनिधित्व मिला तथा पंचायती राज केवल कागजों में दफन न रहकर पूरी तरह से स्वतंत्र एवं और लोकतांत्रिक बन सका। देश की जनसंख्या में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला शक्ति को भी जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिला जो संविधान में तो पहले से ही मिला था, लेकिन पितृसत्ता के सामने संविधान में अधिकार होने के बाद भी इस हक से वंचित कर दिया था। देश के समग्र विकास में महिलाओं की भागीदारी की बात तो स्वीकार की जाती थी, लेकिन जब उनके हक की बात आती तो उन्हें पीछे धकेल दिया जाता था। जबकि इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की में सहयोग दिया है। घर-परिवार हो या खेत-खलिहान किसी भी जगह महिला शक्ति, पुरुषों से पीछे नही रही है।

केन्द्र एवं राज्यों की सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगी है। पंचायतों के सुदृढ़ होने से राजनीति में नई पीढ़ी का उदय भी हो रहा है। ग्रामसभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि पंचायत में भागीदारी होने के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरूकता आई है और वे छोटे-छोटे स्वयंसहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार अपना रही है और विकास में अपना सहयोग दे रही है। इस तरह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत से ही महिलाओं के राजनीति एवं सशक्तिकरण अभियान को गति मिली। जब पंचायत में उनकी भागीदारी बढ़ी तभी वह हर दिशा में आगे निकल पाई हैं। अब तो संसद तक में उन्हें आरक्षण दिए जाने की मांग उठाई जा रही है।

लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दृश्टि से पंचायती राज संस्थाओं को भारतीय संविधान में स्वशासन की इकाई की अवधारणा का उल्लेख एक सही कदम है। किन्तु ध्यान देने कि बात यह है कि इकाई राजनीतिक के साथ-साथ आर्थिक भी है और इसकी व्याख्या होनी चाहिए। इस संदर्भ में ग्राम सभा को एक कृषि औद्योगिक समुदाय की संज्ञा दी जा सकती है। इसके क्षेत्र में आने वाले कार्यक्रमों के संचालन में ग्रामीण जन के योगदान पर बल देना होगा। राज्यों के पंचायत अधिनियमों में ऐसा प्रावधान है कि ग्रामसभा को इस कार्य की जिम्मेदारी को निभाना है कि ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम के श्रमदान हेतु लोगों को प्रेरित किया जाए। निःसन्देह इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं के स्तर पर एक गतिशील नेतृत्व की आवश्यकता होगी।

सभी राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं की कार्यकारिणी में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है। कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यह अध्ययन का विषय है कि इस आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव आम महिला पर पड़ा है या नहीं। यह ज्ञात होता है कि ग्रामसभा की बैठकों में पुरुषों की तुलना में आम महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। यह असमानता महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक गलत संदेश देती है। आज महिलाओं द्वारा गठित स्वयंसहायता समूहों का व्यापक स्तर पर विकास हुआ है। किन्तु यह अब तक साफ जाहिर नही होता है कि पंचायती राज संस्थाओं से इन समूहों का संबंध बन पाया है या नहीं। यदि ग्रामसभा के स्तर पर इन समूहों की महिलाओं की उपस्थिति सुनिि-चत की जाए तो ग्रामसभा में आम महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त आम महिलाओं को स्वयंसहायता समूह बनाने की प्रेरणा मिलेगी और यह महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक सराहनीय कदम होगा।

ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं एवं पंचायती राज के सम्मुख उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। उन्हें व्यवस्थित होकर विभिन्न बाधाओं एवं चुनौतियों को दूर करना पड़ेगा। इस हेतु कुछ प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार है -

- महिला प्रतिनिधियों को संगठित होकर इन संस्थाओं में काम करना चाहिए। इन्हें महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर मतभेद भूलाकर काम करना होगा। उन्हें लैगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा एवं बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए।
- निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं एवं पुरूषों की संतुलित भागीदारी के लिए आम राय बनाने हेतु जन अभियान चलाया जाना चाहिए।
- महिलाओं को संगठित होकर अपने दल एवं विभिन्न स्तरों पर नेटवर्क स्थापित करने चाहिए ताकि निर्णय लेने एवं क्रियान्वयन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकें।
- पंचायती राज में महिलाओं की प्रभावी भूमिका विशिष्ट कुशलता, ज्ञान एवं दृष्टिकोण की मांग करती है। इसलिए व्यवस्थित प्रशिक्षण एवं अभिनवीकरण की आवश्यकता है। ताकि महिलाएं वर्तमान स्थितियों को बदलकर संसाधनों एवं सत्ता के प्रयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण को शीघ्रता से संभव बना सकें।
- राजनीतिक दलों को भी महिला सशक्तिकरण को बढ़वा देना चाहिए। अपने संगठनों में उन्हें महिलाओं को अधिक से अधिक स्थान देना चाहिए।
- केवल महिला आरक्षण ही महिला सशक्तिकरण को संभव नही बना सकता। महिला प्रतिनिधि शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान के माध्यम से ही अपने कार्यो एवं दायित्वों को संभाल सकती हैं।
- महिला सहभागिता अभियान को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के एक प्रमुख भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाया जाना चाहिए। विभिन्न गैर सरकारी संगठन पंचायती राज में महिला सहभागिता के लिए समुदायों को शिक्षित एवं गतिशील कर सकते हैं।
- महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण नियमित अंतराल पर किया जाना आवश्यक है। कोई भी योजना तभी सार्थक हो सकती है जब उसे वास्तविक धरातल पर लाया जाए और इसके लिए मूल्यांकन और अनुश्रवण की आवश्यकता है।
- महिलाओं के सम्पूर्ण एवं वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तिकरण हो, क्योंकि कमजोर पंचायतें महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकती। इसलिए पंचायतों की स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। अधिकतर पंचायतों के पास अपना कोई राजस्व नहीं है। न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का भी अभाव हैं इसलिए हमें पंचायती राज को विकास के वाहक के रूप में देखने के बजाय विकास को ही पंचायती राज के वाहक के रूप में देखना चाहिए, तभी वास्तविक महिला सशक्तिकरण संभव हो सकेगा।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सरकार की ओर से आरक्षण का प्रावधान एक तिहाई किया गया है। जबकि आंकड़े बताते है कि महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आरक्षित सीटों के अलावा कई स्थानों पर सामान्य सीट पर भी महिलाएं कब्जा जमाने में सफल रही हैं। इस तरह पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की औसत भागीदारी चालीस फीसदी से अधिक रही है।

1993 में 73 वें और 74 वें संविधान संशोधनों के माध्यम से महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित करने से इन स्थानीय स्वशासन की इन संस्थाओं में महिला भागीदारी तो बढ़ी है परन्तु अभी समस्याएं खत्म नही हुई है। आधी आबादी के मन में अभी भी संशय बना हुआ हैं। इसके पीछे मूल कारण है अशिक्षा है। जो पंचायत प्रतिनिधि शिक्षित है वे तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। सरकार की ओर से भी उन्हें सहयोग मिल रहा है, लेकिन जहां अभी तक शिक्षा का अभाव है

वहां महिला पंचों की भागीदारी अभी भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीण अंचल में अभी भी महिलाएं पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता आदि के प्रभाव में जकड़ी हुई है। यही वजह है कि वे पंचायत की बैठकों में जाने से कतराती है। इस प्रवृति को खत्म करना होगा।

जो महिलाएं जनप्रतिनिधि चुनी जाती है, उन्हें किसी भी कीमत पर स्टांपपैड नहीं बनना होगा। बल्कि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पंचायत से जुड़े फैसले खुद करने होगें। पुरुष वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी मानसिकता बदले और आधी आबादी को सहयोग दे। क्योंकि समानता की स्थिति आरक्षण के बाद भी नही बन पा रही है। समाज के आधे हिस्से की यह परतंत्र चेतना अगर आजाद नही हुई और इसे सही दिशा एवं दृष्टि नही मिली तो प्रगति की राह सुलभ नहीं होगी।

पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण से महिलाओं को भविष्य की नेत्रियों के रूप में तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओ को सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने व निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। अतः ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के पंचायती राज में उनकी भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक हो, का प्रभावी सम्मिलन आवश्यक है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना एक सतत प्रक्रिया है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि महिलाओं को उनकी क्षमता का अहसास कराया जाए, उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जाए और उनका मार्गदर्शन किया जाए।

पंचायती राज के गर्भ में कई संभावनाएं विद्यमान हैं इसके माध्यम से न केवल महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है अपितु हम संपूर्ण सामाजिक ढांचे को बदल सकते हैं बशर्ते हम सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें। भारत का भविष्य सच्चे लोकतंत्र का भविष्य हो, इसके लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर तैयार रहना होगा। गांव के स्तर पर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करना होगा। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी से महिलाओं की संख्या न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी, बल्कि लैंगिक समानता एवं न्याय के प्रति प्रतिबद्ध समाज का निर्माण भी करेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- अधिकार्य, सी.डी (2008) लोकल गवर्नमेंट पार्टिशिपेशन एण्ड फ्यूचर ऑफ नेशनल डेमोक्रेसी, ए क्रिटिकल लुक, आई.ए. एस.एस.आईक्यूआट्र्ली, 27 (1-2)129-138
- बासु, चैताली (2004) द वुमन रिजर्वेशन इ-यू इन रेस्ट्रोस्पेक्ट सॉशियल प्रेसपेक्टिव, 32 (1-2)109
- गांधी महात्मा (2003) नये युग का सूत्रपात (प्रस्तुति-शरद कुमार साधक) आचार्य कुल, वाराणसी।
- कटारिया (2008) सुरेन्द्रभारत में प्रशासन, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर।
- श्रीवास्तव (2018) राकेश, ग्रामीण महिलाओ का सशक्तिकरण, आगे की राह, कुरुक्षेत्र, जनवरी, 2018 पृ. 5-8
- कौशिक, अनुपमा एण्ड शेखावत, गायत्री (2010)वुमन पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन इन चितौड़गढ़ जिला परिशद - ए केस स्टेडी, ए जनरल ऑफ द ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 80 (02) अप्रैल-जून, पृ. 34-40
- कुमार, संजय (2009) पेटरन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिशिपेशनः ट्रेंडस एण्ड प्रेसपेटिव, इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 54 (39) सितम्बर, पृ. 47-51
- मानस, चक्रबार्टी एण्ड लामा, पाशा (2009)ए क्रिटिकलएपरेशल ऑफ द पॉलिसी रिजर्वेशन फॉर द पालिटिकल इम्पॉवरमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्रायब्ज इन इण्डिया, इण्डियन जनरल ऑफ पालिटिक्स, 43 (3) सितम्बर, पृ. 67-82
- पालेकर, एस.ए (2009) द वर्किग ऑफ पंचायती राज, एन एनालिसिस, द इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिट्रेशन, 55 (1) जनवरी-मार्च, पृ. 126-137
- शेखर, हिमांशु (2014) पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, कुरूक्षेत्र, अप्रैल, 2014 पृ. 17-19
- सिंह, संतोश (2015)महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी प्रयास,कुरूक्षेत्र, मार्च, 2015 पृ. 25-31

❖◆❖